



**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//ज्ञापन//

क्रमांक/ ५८ प्र-२/अ.वि.आ.(रा.)/२०२२
प्रति,

सुकमा, दिनांक ०९./१./२०२३

✓ प्रभारी अधिकारी
(एन.आई.सी.)
जिला-सुकमा(छ.ग.)

विषय :- जिला सुकमा से महोदव डोंगरी-जिला सेनानी कार्यालय-एन.एच. ३० मार्ग निर्माण हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राजस्व विभाग, छ.ग.शासन के वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।

--००--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला सुकमा से महोदव डोंगरी-जिला सेनानी कार्यालय-एन.एच. ३० मार्ग तक निर्माण हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा दिनांक २१.११.२०२२ को नगरपालिका सुकमा में जन सुनवाई आयोजित कर तथा अन्य सुसंगत अध्ययन कर सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है।

अतः धारा ६ के प्रावधान अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट को राजस्व विभाग, छ.ग.शासन के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न:-

उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/५८ प्र-२/अ.वि.आ.(रा.)/२०२२
प्रतिलिपि:-

Ramgum
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)
सुकमा, दिनांक ०९./१./२०२३

1- कलेक्टर(भू-अर्जन शाखा), जिला-सुकमा(छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

Ramgum
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग, (भ/स) उप-संभाग सुकमा

Ph. No. 07864-284451

Email Add. sdopwdsukma@gmail.com

ज्ञापन क्र. १२५२ / अविलि / लो.नि.वि. / २०२२-२३,
प्रति,

सुकमा, दिनांक ३० / १२ / २०२२

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
अनुविभाग - सुकमा।

विषय :- भू-अर्जन संबंधित प्रस्ताव एवं सामाजिक समाधान संबंधित प्रपत्र जमा करने बाबत।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला सुकमा के सुकमा में महादेव डोंगरी से जिला सेनानी कार्यालय से एन.एच.-30 पहुंच मार्ग लंबाई 4.00 किमी. (वार्स्टविक लंबाई 2.75 कि.मी.) का निर्माण कार्य में 04 निजी भूमि स्वामी की कुल 0.125 हेक्टेर भूमि प्रभावित होने के फलस्वरूप तैयार भू-अर्जन संबंधित प्रस्ताव एवं सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन संबंधित प्रपत्र दो, तीन एवं चार की जानकारी आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार प्रपत्र मूलतः (एक सेट)


अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि. (भ/स) उप- संभाग
सुकमा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)
02/01/23

18
2-1-2023

प्ररूप-दो

(नियम 18 देखिए)

भाग-क-पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

संख्या	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक)एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	कोई स्त्री और अन्य जाति नहीं
2	पति /प्रति का नाम	सोमा शर्मा
3	पिता /माता का नाम	-
4	पता	ग्राम निष्टाकपाटा पो. बड़वापाट जि. झज्जरा
5	ग्राम /बस्ती	निष्टाकपाटा
6	ग्राम पंचायत /नगर पालिका /नगरीय निकाय	नगर पालिका सुकमा
7	तहसील /तालुका	सुकमा
8	जिला	सुकमा
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तियों सहित)	महेश शर्मा ३५ वर्ष
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	२.०२३ हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	०.१४ हे.
12	प्लाट नं.	ख. नं. ६९१/२-
13	अधिकारों का अभिलेख	ख. नं. ६९१/२ -
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा /लीज/अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूं (कृपया गोला लगाए)	-

(३) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वरतु को पढ़ लिया है
यद्देकर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे
समझा दिया गया है।

हॉ

नहीं

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूं।

हॉ

नहीं

(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूं।

हॉ

नहीं

① (MSB संहेत्र सेक्टर)

कीसी

प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा
अंगूठे का निशान और तारिख

18

पुनर्वासन और पुनर्बर्थस्थापन, निबंधन एवं शर्तें, प्रतिकर एवं
अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप सं संलग्न होनी चाहिए।

अन्धकारी अधिकारी
हस्ताक्षर के प्ररूप विभाग द्वारा दाखिल
जिला पदधारी अधिकारी और तारिख

प्ररूप-दो

(नियम 18 देखिए)

भाग-क-पूर्व लिखित सहमति / घोषणा प्ररूप

संख्या	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक)एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	रैंजर शास्त्री जाति- मुस्लिम
2	पति / पत्नि का नाम	-
3	पिता / मुरता का नाम	रैंजर शास्त्री
4	पता	रैंजर शास्त्री कुकमा
5	ग्राम / बस्ती	-"
6	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीय निकाय	नगर पालिका, सुकमा
7	तहसील / तालुका	सुकमा
8	जिला	सुकमा
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तियों सहित)	आश्रित बेटा ४३ वर्ष नाजरीन बाजे २१ वर्ष रैंजर ५५२ ०२ वर्ष
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	०.४६९ हे.
11	अर्जन के लिए क्षे	०.०५२ हे.
12	प्लाट नं.	रक्का ८५६/१९
13	अधिकारों का अभिलेख	रक्का ८५६/१९
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा / लीज/अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित,यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूं (कृपया गोला लगाए)	-

(क) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।

हाँ

नहीं

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।

हाँ

नहीं

(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।

हाँ

नहीं

Jayaram
प्रभावित यरियार के हस्ताक्षर अथवा
अंगूठे का निशान और तारिख

18

पुनर्वासन और पुनर्बर्थस्थापन, निबंधन एवं शर्त, प्रतिकर एवं
अन्य निबंधन तथा शर्त प्ररूप सं संलग्न होनी चाहिए।

ज्ञान

~~अनुचितगीय अधिकारी~~

~~लोड निर्माण विभाग सरकार~~

हस्ताक्षरित प्ररूप लेख बाले पदाभिहित
जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारिख

प्रस्तुति - दो

(नियम 18 देखिए)

भाग-क-पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्रस्तुति

संख्या	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	कचड़ाम बड़ा आदि - महेश
2	पति / पत्नि का नाम	-
3	पिता / माता का नाम	एकलूक्ष्मा
4	पता	कचड़ाम डास श्री आच. आर. कुमार
5	ग्राम / बस्ती	बाई कुमा, सुकमा
6	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीय निकाय	नगर पालिका सुकमा
7	तहसील / तालुका	सुकमा
8	जिला	सुकमा
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तियों सहित)	परिवार कुमार ~ 67 वर्ष मिशेलेज कुमार ~ 40 - मुनीन्द्र कुमार कुमार ~ 35 - श्री हिमाराम कुमार ~ 67 -
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.060 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.032 हे.
12	प्लाट नं.	रक. नं. 856/4
13	अधिकारों का अभिलेख	रक. नं. 856/4.
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा / लीज / अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूं (कृपया गोला लगाएं)	-

(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वर्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।

हाँ

नहीं

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।

हाँ

नहीं

(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।

हाँ

नहीं

दिव्यभारत कृष्णप

—
—

—
—

प्रभावित प्ररिकार हस्ताक्षर अथवा
अंगूठे का निशान और तारिख

18

पुनर्वासन और पुनर्वर्थापन, निबंधन एवं शर्त, प्रतिकर एवं
अन्य निबंधन तथा शर्त प्ररूप सं संलग्न होनी चाहिए।

—
—
अनुदाता दिव्यभारत कृष्णप

हस्ताक्षर सेक्टर प्ररूप लन्तु ताल पदाभिहित
जिला पदधारी हस्ताक्षर और तारिख
सुलग्न (उ.ग.)

प्ररूप—दो
(नियम 18 देखिए)
भाग—क—पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

संख्या	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक)एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	गुरुमिं कौर्टउड व अन्य जाति माहूरी
2	पति / पत्नि का नाम	—
3	पिता / म्रता का नाम	सुद्धा
4	पता	देवीचोक, पटना म पारा
5	ग्राम / बस्ती	वाई कृष्ण न सुकमा
6	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीय निकाय	नगर पालिका, सुकमा
7	तहसील / तालुका	सुकमा
8	जिला	सुकमा
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तियों सहित)	नामाज गुरुमि 43 वर्ष गुरुमि अच्छ 30 वर्ष उर्मि उर्मि 29 वर्ष उर्मि सुरज 18 वर्ष
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0. 238 हे.
11	अर्जन के लिए क्षे	0. 027 हे.
12	प्लाट नं.	ख. नं. ४५४/।
13	अधिकारों का अभिलेख	ख. नं. ४५४/।
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	—
15	पट्टा / लीज / अनुदान, यदि कोई हो	—
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	—
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूं (कृपया गोला लगाएं)	—

(इक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है
/ पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे
समझा दिया गया है।

हॉ

नहीं

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूं।

हॉ

नहीं

(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूं।

हॉ

नहीं

गुरुभृप

~~Negetive~~

प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा
अंगूठे का निशान और तारिख

18 पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन, निबंधन एवं शर्त, प्रतिकर एवं
अन्य निबंधन तथा शर्त प्ररूप सं संलग्न होनी चाहिए।

अनुदिन निर्देशन दिवाली

लोक निर्माण दिवाग सुलभ

हस्ताक्षरित प्रक्रम कोशिशों पदाभिहित
जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारिख

प्रस्तुप - चार

नियम 23(9) देखिये

सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधात प्रबंधन योजना हेतु विषय-वस्तु की सारिणी

<p>दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाधात निर्धारण की अनुसूची</p>	<p>(क) दल की सभी सदस्यों की अहता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित (ख) सामाजिक समाधात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिये प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन (ग) नमूना प्रणाली का उपयोग (घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्रस्तुत करें) (ङ.) प्रमुख पण्धारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाइयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाइयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्रस्तुती में सम्मिलित किया जाना चाहिये)</p>	<p>- एक्शन से संतुष्ट है। - स्थल निरीक्षण द्वारा - आवश्यक नहीं - समर्पित एवं संतुष्ट है।</p>
<p>भूमि अवधारणा</p>	<p>(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत-नक्शों की सहायता से वर्णन करें (ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है) (ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि (घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आसपास है, का उपयोग (ङ.) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशवित उपयोग (च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान (छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम (ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या (झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन पिछले 3 वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग</p>	<p>- -</p> <p>- -</p> <p>- ०. १२५ हेक्टर</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- ०. १२५ हेक्टर</p> <p>- नहीं</p> <p>- ०. १२५ हेक्टर</p> <p>- -</p>

प्रभावित परिवारों एवं सप्तियों (जहाँ अपेक्षित हो का प्राक्कलन और प्रगणन)	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है—	— चार शुभि द्वारा — नहीं — नहीं — नहीं — नहीं
	(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है)	— नहीं
	(एक) किराएदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है	— नहीं
	(दो) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है	— नहीं
	(तीन) सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी	— नहीं
	(चार) समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है	— नहीं
	(पांच) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं	— नहीं
	(छ:) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित है	— नहीं
	(ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाधात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है)	— नहीं
	(ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका	— नहीं
सामाजिक आर्थिक और सांस्कृकि पाश्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन रथल)	(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा	— कुल जनसंख्या — 2871 कुल परिवार —
	(ख) आय एवं गरीबी स्तर	— बीपीएल परिवार — 311
	(ग) दुर्बल समूह	—
	(घ) भूमि उपयोग और जीविका	—
	(ङ.) रथानीय आर्थिक क्रियाकलाप	—
	(च) कारंक, जिनका रथानीय जीविका में योगदान है	—
	(छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन	—
	(ज) प्रशासनिक संगठन	—

卷之三

सामाजिक समाधात निर्धारण प्रतिवेदन
(नियम 23 देखिये)

१ परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरणः—

(क)	कुल जनसंख्या	- १७८७	(दो) महिला - १५०	८४३.
(ख)	बच्चों की संख्या	- ५०५	(दो) महिला - १५०	
(ग)	जातिवार जनसंख्या	- ५२६	(दो) अ.जा. - १५०	
(घ)	धर्मवार जनसंख्या	- १७८७	(चार) अन्य - १५४८	
(एक)	पुरुष	- ११२	(दो) मुस्लिम - १९२	
(एक)	पुरुष	- ५२६	(चार) इसाई - ८५	
(तीन)	अ.पि.व.	- ५०५	(छ) अन्य - ७७	
(एक)	हिन्दू	- १७८७		
(तीन)	सिक्ख	- ४		
(पांच)	बौद्ध	-		

- 2 गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या
 - 3 वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या
 - 4 निराश्रित पेशनरों की संख्या
 - 5 निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या
 - 6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन
 - 7 प्रशासनिक संगठन
 - 8 राजनीतिक संगठन
 - 9 सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक संगठन

10 भूमि का उपयोग:-

(एक) कृषि भूमि

686.647

प्राप्ति - 250/-
2 लौला प्राप्ति - 250/-

- 99.34/-

- -

- 587.306/-

- (दो) पड़त भूमि
(तीन) सिंचित एक फसली भूमि
(चार) सिंचित दुफसली भूमि
(पांच) असिंचित भूमि

11 जोत का प्रकार:-

- (एक) लधु कृषकों की संख्या
(दो) सीमांत कृषकों की संख्या
(तीन) कृल खातों की संख्या
(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या
(पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या
(तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक के दी जायें)

12 पशुधन :-

- (एक) पशुधन की संख्या
(दो) दुधारु पशुधन की संख्या
13 प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार
14 पलायन
15 रोजगार में महिलाओं की भागीदारी
16 खाद्य सुरक्षा
17 अन्य स्थानीय रोजगार
18 मजदूरी दर
19 ऋण तक पहुंच
20 परिवहन एवं सड़क
21 सिंचाई
- 301
- 301
- किंवद्दन
- 3097
- 34
- 301
- 301
- 301
- 318
- क्षाक्षी
- नहीं

22 बाजार तक पहुंच

23 पर्यावरण स्थल

24 सहकारी संस्थाएं

25 रहने-सहन:-

(एक)धारणाएं, सौदर्यप्रवत्तता मोह एवं अभिलाषा

(दो)गृह

(तीन) सामुदायिक एवं सिविल रथान

(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल

(पांच) भौतिक अद्योसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यादि)

(छः) लोक सेवा अद्योसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि)

(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा
महत्वपूर्ण समाधात क्षेत्र

1 भूमि जीविका और आय पर समाधातः-

- (क) राजेगार के स्तर और प्रकार
- (ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके
- (ग) आय के स्तर
- (घ) खाद्य सुरक्षा
- (ज) जीवन निर्वाह का स्तर
- (च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण
- (छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच

2 भौतिक संसाधनों पर समाधातः-

- (क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाधात
- (ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव

३ निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिता पर समाधातः—

- (क) विधमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा उन्निधाओं की क्षमता

(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव

(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली

(ङ.) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाधात

४ शास्त्रज्ञ समाधानः—

- (क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाधात
(ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाधात

५ सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाधातः—

- (क) स्थानीय राजनीतिक संस्थानों का रूपान्तरण
(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन
(ग) आर्थिक, पारिस्थानिक संतुलन में परिवर्तन
(घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाधान
(ङ) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप
(च) विस्थापन का तनाव
(छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाधान

६ चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाधातः—

- (क) पूर्व-सन्निमार्ण च
 (ख) सन्निमार्ण चरण
 (ग) प्रवर्तन चरण

- (घ) कार्य से हटाने वाला चरण
 (ड.) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाधात
 (च) संचित समाधात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाधात क्षेत्रों का मिलाकर अन्य परियोजना के समाधात)

M.P. 7/1/9
लोक सभा दिव ३-१२.२०२२
देश जयंति उत्सव समाप्ति
सदस्य

लोक सभा
सदस्य के दस्तावेज़

अध्यक्ष
१८/१२/२२

अधिकारी - संसद

Jagannath Raju Salu
President
Municipal Council Sukma
Distt.-Sukma (C.G.)

RAM SUDHAR
SUKMA

Shri Jagannath Raju Salu

अनुचितगानीय अधिकारी

लोक निर्माण विभाग सुक्मा

सुक्मा (छत्ती)

(बी. ई. बी. एस.)